उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–34 / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प–20 / 2010
देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धरा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23(क) के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में किसी सहस्वामी (Co-owner) द्वारा जिसका भाग उसमें सुनिश्चित हो, उस सम्पत्ति के अन्य सहस्वामी के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम रूपये एक हजार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

स्पश्टीकरणः– **परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती–पोतों से है।**

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

पत्रांक : 34(1) / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प–20 / 2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. न्याय / विधायी विभाग।
7. प्रतिलिपि उप–निदेशक लिथो प्रेस रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुये इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करा दें
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।